

निदेशक केंद्र  
संख्या... 1654/6  
दिनांक... 7/01/2011

उ0प्र0 शासन  
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3  
संख्या-2145/60-3-10-13(80)/10  
लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2011

अधिसूचना

आव 24 क

CPO

सं. D.M.S / DPO's  
की सं. को ही  
circulate करे  
7/1/2010

स्त्री अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हेतु महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को उनके जनपदीय कार्य क्षेत्र में प्राधिकृत अधिकारी नामित किया जाता है, जो अपने-अपने जिले के क्षेत्र में उक्त अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करेंगे।

( भवनाथ )  
विशेष सचिव।

संख्या-2145 (1)/60-3-10-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी को उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन कड़ाई से लागू किये जाने हेतु निर्देशित करने तथा उक्त अधिनियम को वेबसाइट से प्राप्त किये जाने हेतु भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाईल।

Du CPO.  
अधीनस्थ अधिकारी  
7/1/2011

10/1/11

498/CPO.

अधीनस्थ अधिकारी  
को 3-1/2011/13 को (लखनऊ) 2/11  
11.01.11

आज्ञी से,  
6.1.2011  
( डा0 प्रभा मिश्रा )  
उप सचिव।